उत्तराखण्ड राज्य दो डिवीजन को मिलकर बना है। एक कुमायूं और एक गढ़वाल डिवीजन है। पर्वतीय भू-भाग होने की वजह से दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां हैं। पहले जब सन् 1970-71 में यह स्वीकृति दी गयी, तब एक ही विश्वविद्यालय उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम से था, परंतु भौगोलिक विषमता और जनता के आंदोलन के कारण सन् 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो विश्वविद्यालय बनाए गए, एक कुमायूं विश्वविद्यालय और दूसरा हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय।

महोदय, कुमायूं डिवीजन में छः जिले हैं। अभी पूरी उच्च शिक्षा का दायित्व कुमायूं विश्वविद्यालय पर है और गढ़वाल के सात जनपदों का हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय पर है। अभी जो विश्वविद्यालय विधेयक पेश हुआ है, इसमें जो जूरिस्डिक्शन आफ यूनिवर्सिटीज जो दिया गया है, उसमें उसका जुरिस्डिक्शन गढ़वाल डिवीजन के सात जिलों तक ही है, जबकि उत्तराखंड के शेष छः जिले कुमायूं डिवीजन के भीतर हैं। दोनों विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन और वहां की जनता के द्वारा लंबे समय से की जा रही है और दोनों विश्वविद्यालय केन्द्रोय विश्वविद्यालय के मानक भी पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और पूर्वोत्तर में छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, अतः उत्तराखंड के कुमायूं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग करता हूं ताकि कुमायूं क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा का उन्नयन और अनुसंधान हो सके और कुमायूं डिवीजन के छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही यह भी मांग करता हूं कि जो दूसरी अनुपूरक सूची के द्वारा विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया गया है, उसे एचआरडी मिनिस्ट्री की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, वहां भेजा जाए और हमारी इस मांग को भी उसमें समाहित किया जाए। कुमायूं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए विधेयक में संशोधन किया जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Next is Shri M. Shivanna — not present

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी को मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सागर से हमारे लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार जी हैं। वे अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाते रहते हैं और समस्याओं के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं।

दिनांक तीन तारीख को रेल विभाग में कुछ अतिक्रमण के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया। उन्होंने रेल अधिकारियों से बात की, सम्पर्क किया और यह कहा कि अगर यह अतिक्रमण है तो चार-पांच दिन बाद सबको जानकारी देकर, कई दुकानों का मामला था, कार्रवाई की जाये। दुर्भाग्य है कि रेल अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए समस्या काफी गंभीर हो गयी। तब श्री वीरेन्द्र कुमार जी स्वयं पैदल चलकर उस स्थान पर गये। वहां जाने के बाद जब उन्होंने समस्या देखी, तो उन्हें लगा कि रेल विभाग एकतरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने उसे रोकने का काम किया, लेकिन वहां जो आरपीएफ के लोग थे, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि वहां आरपीएफ के मौजूद टीआई श्री विवेक शर्मा ने अपने साथियों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से वीरेन्द्र कुमार जी की पिटाई लगाई। श्री वीरेन्द्र कुमार आज यहां आये थे, लेकिन वे बोलने की स्थिति में नहीं हैं। वे कल सुबह भी यहां आये थे। हमने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी को लिखकर दिया है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा आग्रह है कि उनके इस मसले को प्रिविलेज कमेटी को तत्काल भेजा जाये और जो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राकेश सिंह, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री पी.एस. गढ़वी भी इस विषय के साथ अपने को संबद्ध करते हैं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्हीकल फैक्टरीज की स्थापना की गयी थी और ये व्हीकल फैक्टरीज आर्डिनैंस फैक्टरी बोर्ड की ही प्रोडक्शन यूनिट हैं। इन्हीं फैक्टरीज द्वारा देश में सेना को जोंगा, निशान और शक्तिमान जैसे वाहन पहले प्रदान किये गये। आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं फैक्टरीज द्वारा अशोक लीलैंड और टाटा कम्पनियों से टैक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा एलपीटीए और स्टेलियन जैसे वाहन हजारों

[Shri Rakesh Singh]

की संख्या में प्रदाय किये गये, जो सफलतापूर्वक सेना में चल रहे हैं।

महोदय, हमारे देश की नीति भी रही है कि सेना के काम में आने वाले जो भी वाहन और उनके पार्ट्स हैं, वे सारे स्वदेशी हों, तो बेहतर होगा। इसी नीति को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर को हाई मोबेलिटी व्हीकल सिक्स बाय सिक्स निर्मित करने के लिए निर्देश दिये गये। साथ ही इन वाहनों पर स्थापित होने वाले जो उपकरण हैं, जैसे वाटर वाउजर, किचन कंटेनर, राकेट लांचर बेस आदि इन सबको तैयार करने के लिए कहा गया था, ताकि एक ही वाहन पर सभी तरह के उपकरण लगाये जा सकें। इसके अनुसार व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर ने इन्हें बनाने का काम भी प्रारंभ किया। लेकिन इसी बीच एकाएक भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के माध्यम से एक विदेशी कम्पनी टाटा द्वारा 1,990 वाहन खरीद लिये गये और वे भी सिक्स बाय सिक्स के स्थान पर फोर बाय फोर, जबकि ये नीति बनी थी कि आने वाले समय में सेना के लिए जो भी वाहन लिये जायेंगे, वे सारे के सारे सिक्य बाय सिक्स होंगे। मैं यहां सदन को बताना चाहता हूं कि ये सारे आयातित वाहन, प्रत्येक की कीमत लगभग 65 लाख रुपये है, जो व्हीकल फैक्टरी जबलपुर से प्राप्त होने वाले वाहनों की तुलना में लगभग दोगुना से ज्यादा है जो कि 30 लाख रुपये में ये वाहन देने जा रही थी। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो मैंने इसकी लिखित शिकायत 12 मई, 2008 को माननीय रक्षा मंत्री जी को दी थी। 30 मई 2008 को मेरे पास उनका जवाब आया कि इसकी जांच चल रही है। जांच के परिणाम तो सामने नहीं आये, लेकिन एकाएक जो कुछ घटा, जो संबंधित एजेंसियां थीं, उनके द्वारा व्हीकल फैक्टरी को मार्केट से बाहर करने के लिए और निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए एकाएक अलग-अलग उपकरणों के लिए अलग-अलग वाहनों की डिमांड उनके द्वारा कर दी गयी। यह देश और सेना दोनों के ही हित में नहीं है। उनकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर वे ऐसे कौन से कारण हैं कि 30 लाख रुपये की कीमत के स्थान पर 65 लाख रुपये से वाहन खरीदे जा रहे हैं और लगभग साढ़े आठ हजार वाहन देश में खरीदे जाने हैं। इसका मतलब है कि लगभग तीन हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च इस देश के ऊपर आने वाला है। ...*(व्यवधान)* यह एक बड़े घोटाले का संकेत है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाये, जो इस पूरे मामले की जांच करे। वह इस अनियमितता की जांच तो करे ही, लेकिन साथ ही भविष्य में सेना द्वारा जो भी वाहन और उपकरण खरीदे जाने हैं, उनके लिए भी एक निर्धारित मापदंड तय करे ताकि इस तरह के घोटालों की गुंजाइश भविष्य में न हो।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. M. RAMADASS (Pondicherry): Sir, I wish to draw the attention of the Government of India on a matter of public interest concerning the population of India. As you know, the population of India is not homogenous but characterized by a number of diversities. There are different groups of people, different communities, different castes, different religions, and we have a variety of groups in the country. We need to know their socioeconomic status and compare inter-temporally and intra-temporally the standards achieved by them. That is why in every population census since 1881, it was started by the Britishers that there should be a census of population on the basis of communities, groups, castes and religions. This continued up to 1931. For some mysterious reasons, this practice of enumerating the population of the country on the basis of the caste was abandoned. After that it was not resumed. But in the last 80 years, several developments have taken place which necessitate caste-wise census by the Government of India.

Recently when the Parliament passed the 27 per cent reservation, it was stayed by the Supreme Court. One of the reasons given by the Supreme Court was that we are giving 27 per cent reservation to OBC students in higher educational institutions but where is the data of the population of the OBC? On what basis you are fixing this 27 per cent? The Government of India could not provide a ready answer. They said that we rely upon the census of 1931 and we rely upon the Mandal Commission Report which extrapolates the population of 1931. But Supreme Court was not satisfied. Therefore, there is an immediate need, imperative need that the Government of India should go in for caste-census from the impending census operations. In 2011 the Government of India is going to start the census operations. We earnestly request that the caste-wise data should be collected. This data would help the Government in several ways. It will determine the proportion of reservation in jobs both in the private sector as well as in the public sector, and also in educational institutions. They resolve the issues of reservation amicably.

Distributive justice requires that each group should get its benefit from the Government in proportion to its